संख्या- 23/2018/21/71-2-18-आरएम-16/2017

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज,
गोमतीनगर लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 19 फरवरी, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र की सूची अनुमोदित किये जाने एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3556/डा0आर0एम0एल0आई0एम0एस0/वित्त एवं लेखा/17-18, दिनांक 03 जनवरी, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत संस्थान में उपकरणों के क्रय हेतु मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र की सूची अनुमोदित करते हुए धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2- डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में शासनादेश संख्या-94/2017/5760/71-2-17-आरएम-16/2017, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 द्वारा रू0 12.50 करोड की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ हेतु मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में अनुपूरक सहित प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपकरणों की सूची (प्रति संलग्न) अनुमोदित करते हुए रू0 19,38,00,000/- (रूपया उन्नीस करोड़ अडतीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1) वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही सम्बन्धित उपकरणों के क्रय की कार्यवाही संस्थान के स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।
3) स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
4) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 03-8-2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
6) प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक/वित्त अधिकारी/संबन्धित विभागाध्यक्ष की होगी।
7) दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियॉ न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियों (Technical Specifications) का यथासम्भव समावेश किया जाये।
8) वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9) निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10) प्राइज जस्टिफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना आवदेक निदेशक/वित्त अधिकारी/विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी।
11) संस्थान के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उपकरणों का क्रय किए जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।

12) उक्त उपकरणों का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात्, यदि उपकरण क्रय के पश्चात् धनराशि की बचत होती है तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किए जाने वाले अन्य उपकरणों में तदनुसार समायोजित किया जायेगा।

13) संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से संबंधित शासनादेशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14) उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

15) वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

16) प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य के शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित की जाय।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

5- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 23 /2018/21(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव।